अपराध और अपराध नियंत्रण

बजरंगलाल

दुनियॉ में जब से मानव की उत्पत्ति हुई होगी, उसके कुछ समय बाद ही अपराध भी शुरू हुए होंगे। बिल्कुल ही प्रारंभिक काल को छोड़कर कोई ऐसा समय नहीं आया होगा जब सृष्टि पर अपराध शून्य रहा हो। प्राचीन काल के विषय में तो सिर्फ कल्पना ही संभव है किन्तु जबसे प्रत्यक्ष या किवदंती का भी इतिहास उपलब्ध है, तब से तो निरंतर अपराधों का अस्तित्व रहा ही है, चाहे उसकी मात्रा कम हो या अधिक।

व्यक्ति के अधिकार दो प्रकार के होते हैं 1. स्वाभाविक, प्राकृतिक या मूल अधिकार 2. सामाजिक या संवैधानिक अधिकार। यहॉ मूल अधिकार का आशय भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों से नहीं है क्योंकि संविधान में मूल अधिकार के संबंध में अनेक विसंगतियॉ मौजूद हैं। मेरा मूल अधिकार से आशय स्वाभाविक या प्राकृतिक अधिकारों से ही है जो किसी भी देश या काल में सिर्फ चार ही होते हैं 1. जीने का 2. अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता 3. संपत्ति 4. स्वनिर्णय। इन मूल अधिकारों पर आक्रमण ही अपराध है। अपराध की स्पष्ट परिभाषा के आधार पर अपराध सिर्फ पांच ही हो सकते हैं 1. चोरी, डकैती, लूट 2. बलात्कार 3. मिलावट, कमतौल 4. जालसाजी, धोखाधड़ी 5. हिंसा, आतंक, बल प्रयोग। इन पांच को छोड़कर आज तक कोई भी कार्य न अपराध माना गया है न हो होगा क्योंकि चार प्रकार के मूल अधिकारों के उल्लंघन के ये पांच ही मार्ग होते हैं।

व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन को अपराध Crime तथा सामाजिक या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को असामाजिक unsocial या गैर कानूनी Illegal कार्य कहते हैं। ये असामाजिक या गैर कानूनी कार्य अपराधों से बिल्कुल भिन्न प्रकृति के होते हैं। इन असामाजिक या गैर कानूनी कार्यो की पहचान, प्रभाव तथा नियंत्रण बिल्कुल भिन्न होता है। आमतौर पर प्रत्येक अपराध गैर कानूनी होता ही है किन्तु आवश्यक नहीं कि प्रत्येक गैर कानूनी कार्य अपराध हो ही। उपर लिखे पांच प्रकार के सभी अपराध गैर कानूनी हैं किन्तु इन पांच को छोड़कर अन्य हजारों प्रकार के कानूनों का उल्लंघन गैर कानूनी होते हुए भी अपराध नहीं। इनमें आदिवासी हरिजन महिला संबधी विशेष कानून, तस्करी, ब्लैक, शराब गांजा अफीम हरोइन आदि का उपयोग या व्यवसाय, टैक्स चोरी, दहेज, बालविवाह, आत्महत्या, स्वैच्छिक सतीप्रथा, छुआछूत, वन अपराध, वैश्यावृत्ति आदि। इन गैर कानूनी कार्यो से किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों पर कोई आक्रमण नहीं होता, भले ही उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन क्यों न होता हो।

यद्यपि सभी अपराध गैर कानूनी घोषित हैं किन्तु अपवाद स्वरूप मकान किराया कानून कुछ ऐसा बना है जिसमें किसी के मकान को किराये में लेकर खाली न करना अपराध होते हुए भी कानून सम्मत है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि भारत के किन नासमझों ने ऐसा कानून बनाया किन्तु आज भी ऐसा कानून भारत में मौजूद है। ऐसे और भी कानून हो सकते हैं जो अभी मेरे ध्यान में नहीं हैं। ऐसे कानूनों का होना आश्चर्यजनक है।

गैर कानूनी कार्यो को अपराध मानने और घोषित करने के दो कारण संभव है –

1. जब शासक में समझदारी की अपेक्षा शराफत अधिक हो, भावना प्रधान हो, उच्च आदर्शवादी हो। स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक काल में कुछ एसी ही स्थिति थी। इस स्थिति में शासक भूलवश ऐसा करता है।
2. जब शासक अपराधियों के चंगुल में हो। वर्तमान स्थिति ऐसी ही है। इस स्थिति में शासक जान बूझकर ऐसा करता है।

गैर कानूनी कार्यो को अपराध घोषित कर देने से अपराधों की पहचान भी कठिन हो जाती है और नियंत्रण भी। अपराध नियंत्रण में यह एक प्रमुख बाधक तत्व है।

अपराध दो कारणों से होते है 1. मजबूरी 2. स्वार्थ। सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि पंद्रह से बीस प्रतिशत अपराध ही मजबूरी में होते हैं अन्यथा आम तौर पर अपराध स्वार्थ के कारण ही होते रहे हैं। जो लोग गरीब और शक्तिहीन हैं वे शायद ही एक दो प्रतिशत अपराध करते हों। अपराध या तो धनी लोग करते हैं या शक्ति सम्पन्न चाहे वे शारीरिक रूप से शक्तिशाली हों या राजनैतिक सामाजिक रूप से।

अपराध नियंत्रण के तीन माग माने जाते हैं – 1. परिस्थिति परिवर्तन 2. हृदय परिवर्तन 3. भय। परिस्थिति परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली सतत् प्रकिया है जिसका प्रभाव अपराध नियंत्रण की प्रकिया में सिर्फ परोक्ष ही हाता है, प्रत्यक्ष नहीं। हृदय परिवर्तन का प्रभाव स्थायी तथा दूरगामी होता है किन्तु नगण्य होता ह। गांधी हत्या के बाद हृदय परिवर्तन का सिर्फ एक प्रयास ही सेल हुआ जिसमें भिण्ड मुरैना के अनेक दुदान्त डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। इस एक सफलता के अतिरिक्त हृदय परिवर्तन को कहीं कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। अपराध नियंत्रण के लिये सबसे अधिक प्रचलित और उपयोगी तरीका भय का ही है जो प्रारंभ से आज तक एक समान उपयोगी बना हुआ है। भय तीन प्रकार का होता है 1. ईश्वर का 2. समाज का 3. सरकार का। इन तीनों का उपयोग समान परिणाम देता है। प्राचीन समय में पहले और दूसरे मार्ग का अधिक और तीसरे का नगण्य उपयोग हाता था। आम लोग धर्म प्रधान भी थे तथा समाज व्यवस्था भी मजबूत थी। इसलिये बहुत कम मामलों में शासकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी। धीरे धीरे ईश्वरीय भय अपराध नियत्रण में प्रभाव शून्य हो गया।

बड़े बड़े डकैत धर्म का उपयोग अपराध सहायक रूप में करने लगे है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि धर्म का अर्थ आचरण और गुणों से हटकर संगठन के रूप मं हो गया है। अपराध नियंत्रण का दूसरा आधार ''सामाजिक शक्ति'' भी निष्प्राण हो गई है। समाज का कोई स्वरूप रहा ही नहीं। अब तो अनेक अपराधी ही समाज से सुरक्षा पाने लगे हैं क्योंकि समाज का स्थान भी शासन ने ले लिया। ले देकर शासन ही एकमात्र ऐसी इकाई बची है जो अपराध नियंत्रण में भय का उपयोग कर सकती हैं। अतः कुल मिलाकर शासन व्यवस्था से ही कोई तात्कालिक संभावना दिखती है यही कारण है कि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

भय पैदा करने के लिये दण्ड ही एक मात्र मार्ग है क्योंकि ईश्वरीय भय और सामाजिक बदनामी का भय प्रभावहीन हो गया है। दण्ड का संतुलन कुछ इस तरह का होना चाहिये कि अपराधी भयभीत हो और सामाजिक व्यक्ति भयमुक्त। दण्ड की मात्रा और अपराधी की पहचान अत्यन्त महत्वपर्ण मुद्दे हैं। यदि दण्ड की मात्रा कम होगी तो अपराधियों की शक्ति कम होने की अपेक्षा उसी तरह बढ़ती है जिस तरह मच्छरों या बीमारियों में उपयोग की गई दवा की कम मात्रा विपरीत प्रभाव डालती है। इसी तरह यदि अपराधी की ठीक ठीक पहचान नहीं हुई तो दण्ड समाज पर विपरीत भावनात्मक प्रभाव छोड़ता है। इन सब के साथ साथ दण्ड का उपयोग इस तरह हो कि वह प्रतीकात्मक परिणाम दे अर्थात् दण्ड अन्य अपराधियों में भय उत्पत्ति का माध्यम बने। तानाशाही व्यवस्था में तो यह काम बिल्कुल आसान है किन्तु प्रजातंत्र में इसके लिये बहुत सतर्कता को आवश्यकता है। इस सतर्कता के लिये न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में बहुत सामंजस्य की आवश्यकता है। अपराध नियंत्रण में

कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व पुलिस करती है। भारत में वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भारत के अपराधी तो लगभग भय मुक्त हो गये तथा आम नागरिक पुलिस से भी भयभीत है और अपराधियों से भी। अपराधियों का कानून पर विश्वास बढ़ा है और नागरिकों का घटा है। भागलपुर में नागरिकों के इशारे पर पुलिस ने अपराधियों की आंख फोड़कर नागरिकों से प्रशंसा प्राप्त की। नागपुर की महिलाओं ने अक्कू यादव की न्यायालय परिसर में ही हत्या करके सम्पूर्ण भारत क नागरिकों का सम्मान प्राप्त किया। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आम नागरिक कानून को नपुंसक मानकर अपराधियों को प्रत्यक्ष दण्डित करने में विश्वास करने लगे हैं। कानून ओर समाज के बीच दूरी बढ़ गई है। भारत में हो रहे कुल अपराधों में सजा का प्रतिशत घटकर एक से भी कम रह गया है। पंचान्नब प्रतिशत अपराध तो अब थाने तक ही नहीं पहुॅचते। पांच प्रतिशत में से कुछ पुलिस में कुछ कोर्ट में छूट जाते है। एकाध को कभी सजा हो पाती है। संभवतः अपराधों में सजा का यह प्रतिशत भारत सरीखे कुछ दक्षिण एशियाई देशों को छोड़कर न पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों में है न पूर्व के साम्यवादी देशों में।

ऐसा हुआ क्यों ? इसके निम्न कारण हैं –

1. पुलिस और न्यायालय की मात्रा बढ़ाकर दायित्वों में वृद्धि–भारत में कुल बजट का एक प्रतिशत पुलिस और न्यायालय पर खर्च होता है। स्वतंत्रता क समय यह मात्रा एक प्रतिशत ही थी। किन्तु उस समय की अपेक्षा आज पुलिस और न्यायालयों पर पच्चीस गुना अधिक बोझ लाद दिया गया है। अब गांजा भांग, बालविवाह, दहेज, आदिवासी, हरिजन, महिला आदि हजारों ऐसे गैर कानूनी कार्य है, जिन्हें अपराध घोषित करके पुलिस और न्यायालय पर डाल दिया गया है। आश्चर्य की बात है कि बजट में कोई वृद्धि किये बिना अपराधों की संख्या में वृद्धि करने को लगातार कोशिश की गई। इससे वास्तविक अपराध और अपराधियों की पहचान पूरी तरह समाप्त हो गई जैसे नकली वस्तुओं के ढ़ेर म असली वस्तु की पहचान कठिन हो जाया करती है। इससे पुलिस और न्यायालय Over Loaded हो गये। परिणाम स्वरूप सजा में बहुत विलम्ब होने लगा और न्याय मिलना कठिन हो गया।

   इस कठिनाई का समाधान संभव है। 1. पुलिस और न्यायालय पर व्यय सम्पूर्ण बजट का प्रथम दो वर्ष में बीस प्रतिशत और बाद में घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया जावे। 2. पांच प्रकार के अपराधों को छोड़कर अन्य सभी गैर कानूनी कार्यो की समीक्षा करके दो चार अति आवश्यक कानूनों को शासन अपने जिम्मे रखे। शेष को या तो मुक्त कर दे या स्थानीय इकाईया को दे दे। इन दो चार गैर कानूनी कार्यो की रोकथाम भी किसी विशेष विभाग और विशेष न्यायालय को दे। सामान्य पुलिस और सामान्य न्यायालय पर कोई अतिरिक्त वजन न डाले।
2. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा अप्रत्यक्ष अपराधी सहायता– जिस तरह सन् सैंतालिस में संघ की विचारधारा को गांधी हत्या में अप्रत्यक्ष सहायक माना जाता है उसी प्रकार वर्तमान समय में मानवाधिकार के नाम पर काम कर रहे संगठनो की भूमिका अपराध वृद्धि में है। अनेक अपराधो भी मानवाधिकार संगठनों में शामिल होकर काम करने लगें हैं। आज तक शायद ही कोई उदाहरण मिला हो जिसमें मानवाधिकार संगठनों ने किसी अपराधी को पकड़वाने और सजा दिलवाने में मदद की हो। यदि पुलिस अपराधी को न पकड़े तो पुलिस के विरूद्ध पकड़ने के लिये आंदोलन करना और यदि पकड़ने में या पकडने के बाद पुलिस कोई भूल करे तो फिर पुलिस के विरूद्ध आंदोलन करने की ठेकेदारी इन सबने ले रखी है। मानवाधिकार के नाम पर काम कर रहे लोगों की यदि पूरी तरह जांच की जाय तो पाया जायेगा कि ये कभी अपराधी को पकड़ने या सजा दिलवाने में सहाय नहीं होते।

ख. ये कोई उत्पादक काम नहीं करते। यदि इनके भरण पोषण की जांच करें तो अधिकांश लोग तो विदेशों से या भारतीय पूंजीपतियों से या शासकीय धन पर पलते हुए दिखेंगे।
ग. इनका प्रत्येक कार्य वास्तविक अपराधियों के पक्ष में शुरू होता है।

मुझे याद है कि अंसल प्लाजा में दो आतंकवादियों को पकड़ कर नकली मुठभेड़ में मारने के नाम पर ऐसे ही कुछ मानवाधिकारी ठेकेदारों ने चिल्ल पों मचाई थी। अभी छ माह पूर्व गुजरात पुलिस द्वारा चार आतंकियों को मारने में भी इशरत जहॉ को हीरो बनाकर इन पेशेवर मानवाधिकारियों ने हो हल्ला किया था। राजनैतिक दलों का तो इस हल्ले के पीछे राजनैतिक स्वार्थ था किन्तु ये मानवाधिकारी किस उद्दश्य से ऐसी बेशर्मी पर उतर गये यह विचारणीय है। अन्त में दो ही दिनों में सारी पोल खुल गई और हल्ला करने वालो के मुह पर ताले लटक गये। मेरे विचार में पूरे भारत में ऐसे पेशेवर लोगों की जॉच की जानी चाहिये कि उनकी आय के स्त्रोत क्या हैं जो इतनी तल्लीनता से समाज सेवा करते हैं। ऐसे लोगों के सामाजिक रेकार्ड को भी देखा जाय कि वे सिर्फ अपराधियों के पक्ष में ही हल्ला करते हैं या अपराधियों के विरूद्ध भी कभी पुलिस और न्यायालय की सहायता करते हैं।
घ. भारतीय कानूनों में ऐसा फेर बदल किया जाय कि पांच प्रकार के अपराधों में सबूत का भार अपराधी का हो या प्रारंभ में ही अपराधी का विस्तृत बयान न्यायालय में ले लिया जावे। मुलजिम के बयान के साथ ही न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ हो।

च. आम तौर पर भारत में पुलिस को अधिक शक्ति देने की बात होती रही है। पाटा जैसा कानून उसका उदाहरण है पिछले पचीस तीस वषा से किसी न किसी रूप में ऐसे कानूनों पर विचार हुआ। मैं पुलिस को ऐसे अधिकार देने के विरूद्ध हूॅ क्योंकि ऐसे कानूनों का राजनीतिज्ञ दुरूपयोग कर सकते हैं। किन्तु मैं पोटा से भी अधिक कठोर कानून का पक्षधर हूॅ जो न्यायालयों को शक्ति प्रदान करे और राजनेताओं की छाया से दूर रहे। मेरे विचार में अपराधियों के भय से गवाहों का बदल जाना इसमें एक महत्वपूर्ण कारण होता है। सामान्य स्थितियों मे तो किसी विशेष कानून की जरूरत नहीं। किन्तु जिस जिले के कलेक्टर, एस0पी0 और जिला जज मिलकर ऐसा महसूस करें वहॉ न्यायपालिका को विशेषाधिकार दिया जाय इसके अन्तर्गत उस विशेष क्षेत्र में न्यायालयों को गुप्तचर जांच शाखा दी जाय जो गुप्तचर पुलिस से प्राप्त गंभीर प्रकरणों पर गुप्तचर जॉच के बाद सजा दे सकती है। सारी न्यायिक कार्यवाही पुलिस या अपराधी से गुप्त होगी। पुलिस या अपराधी अपील कर सकता है जहॉ उपर की न्यायिक गुप्तचर शाखा जांच करके निर्णय देगी। यह एक संशोधन बहुत प्रभावकारी होगा। बिहार जैसे राज्य के अच्छे–अच्छे नामी अपराधी इस संशोधन से कांप जायेंगे। राजनेताओं में भी स्वयं ही बहुत सुधार हो जायेगा। बिहार के सुधरते ही पूरे देश में अपने आप अपराधी भयभीत हो जावेगे। मैं जानता हूॅ कि कुछ लोग इस कानून की आलोचना करेंगे कि इसमें अपराधी को सफाई का अवसर नहीं मिला या दुरूपयोग की आशंका है आदि। मैं आपात क्षेत्र में ही सीमित समय तक ऐसे कानून का पक्षधर हूॅ। यदि कोई इस कानून से अच्छा सुझाव दे तो मैं अवश्य उस सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार हूॅ।

छ. दण्ड का मानवीय होना भो ये नासमझी की बात है। इसका भो विपरीत असर होता है। अपराधी को दण्ड मिले यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिये। हमारा उद्दश्य यह हो कि दण्ड प्रतीकात्मक हो, अन्य अपराधियों क मन में भय पैदा करें। देश के अनेक बुद्धिजीवी दण्ड का मानवीय होने की वकालत करते है। मेरे मन में ऐसे लोगों के बुद्धिजीवी होने पर ही संदेह होता है। ये लोग संत हो सकते हैं, शरीफ हो सकते हैं, मानवता प्रेमी और दयालु तो हो सकते हैं किन्तु बुद्धिजीवी नहीं। दण्ड का तरीका ऐसा होना चाहिये जो भय उत्पादक हो। उसका तरीका और उसकी मात्रा किसी सिद्धान्त पर तय न होकर तात्कालिक परिस्थितियॉ पर निर्भर करती है। वर्तमान वातावरण में बिहार और उत्तर प्रदेश में दण्ड का तरीका अधिकतम अमानवीय किया जा सकता है भले ही अन्य पदेशों में कुछ ओर सोचा जाय। अभी अभो धनंजय की फांसी का मुद्दा उठा। घनंजय, अक्कूयादव की हत्या का समर्थन किया और दागी मंत्रियों के मामलों में चुप हैं। अब हम तीनों पर पृथक पृथक सोंचे कि धनंजय की फांसी का विरोध करने वालों ने क्या कभी बलात्कार और जघन्य हत्या के किसी मामले में अपराधी को पकड़वाने और सजा दिलवाने में पुलिस की सहायता की है ? क्या उनके पास ऐसे जघन्य अपराध न हो ऐसा भय अपराधियों में पैदा करने की कोई योजना है ? यदि हो तो मैं उन्हें बुद्धिजीवी मान सकता हूॅ। अक्कू यादव प्रकरण में महिलाओं का पक्ष लेने वाले यह बताने की कृपा करें कि यदि इस मामले में अक्कू यादव को महिलाएॅ न मारती बल्कि वह पुलिस हिरासत में मारा जाता तो ये लोग पुलिस का समर्थन करते या विरोध ? यदि अक्कू यादव को नियमानुसार मुकदमा चलाकर न्यायालय परिसर में दिन दहाड जल्लाद द्वारा फासी दी जाती तो उसका समर्थन होता या विरोध ? दागी राजनेताआ के प्रकरण में म सिर्फ यही जानना चाहता हूॅ कि अनेक गंभीर अपराधिक पृष्टभूमि वाले नेताओ के विरूद्ध लम्बित गिरफ्तारी के विषय में हमारे बुद्धिजीवियों ने क्या कुछ सक्रियता दिखाई। दस बीस हत्याओं के अपराधी के नेता बनने और मंत्री बनने के विरूद्ध हमारे बुद्धिजीवियों ने क्या किया ? क्या हमारे बुद्धिजीवियों को जानकारी नहीं थी कि ये मंत्री फरार रहे हैं। क्या ऐसे अपराधियों के मामलो में कानून की सहायता करना बुद्धिजीवियों का कर्तव्य नहीं था ? भारत के बुद्धिजीवियों को एसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये।

इस तरह हम गैर कानूनी कार्यो को अपराध की श्रेणी से हटाकर न्यायिक प्रक्रिया में कुछ संशोधन करके, न्यायालयों को विशेष स्थिति में गुप्तचर सेवा के उपयोग की अनुमति देकर, तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उचित मार्ग दर्शन देकर तीन माह में ही अपराधों पर रोकथाम सफल कर सकते हैं। अपराध नियंत्रण कोइ लाइलाज बीमारी नहीं है। आवश्यकता यह है कि हम कम बल प्रयोग करने की अपेक्षा संतुलित तथा आवश्यक बल प्रयोग अवश्य करें।

इस संबंध में हमें कुछ सामाजिक सोच में भी बदलाव लाना चाहिये। अब तक सम्पूर्ण भारत में यह सोच काम करती है कि जब तक किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराधी होने का पर्याप्त आधार न हो तब तक वह मानवीय सहायता का पात्र है। हम उसकी निरपराध मानकर सहायता करें। मेरे विचार में यह सोच बिल्कुल बदलने योग्य है। अब हम ऐसा फेर बदल कर सकते हैं कि जब तक किसी के शरीफ होने का पर्याप्त आधार न हो तब तक हमें किसी को निरपराध मानकर उसकी सहायता नहीं करनी चाहिये। यदि किसी अपराधी का भूलवश भी आप सहायता करते हैं तो आपका कार्य दोषपूर्ण तो है, भले ही आपने जानबूझकर न किया हो। लापरवाही पूर्वक किया गया आपका कार्य सामाजिक अपराध है ऐसा आपको समझना चाहिय, तब अपराध रोकना आसान होगा। यह कार्य बहुत कठिन नहीं क्योंकि मैं अपने जीवन में लम्ब समय से इस नीति पर चल रहा हूॅ। मुझे पुरा विश्वास है कि समाज और शासन के सामंजस्य से यह काम सफल किया जा सकता है।

2 श्री विमलचन्द पान्डेय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

प्रश्न— ज्ञानतत्व के अंक छिहत्तर, सतहत्तर को पूरो तरह पढ़ा। राजनीति में भाजपा, पहले कार्यकर्ता बनाती थी और अब नेता बना रही है। पहले विचारों के आधार पर देश सेवा के लिये लोग भाजपा में आते थे किन्तु अब सत्ता के लिये आते हैं। पार्टी में यथार्थवादी लोगों का अभाव सा हो गया है। आज समाज में व्याप्त कुसंस्कृति के सुधार का उद्दश्य लेकर राजनीति में आने वाली भाजपा समाज में व्याप्त कुसंस्कृति की स्वयं शिकार हो गई है। डॉ. मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा व शिवराज पाटिल सरीखें लोग पद के बिना एक क्षण भी नहीं रह सके। तभी तो वे चुनाव हारते ही तत्काल राज्यसभा में चले गये। मेरे विचार में भारत की राजनैतिक परिस्थितियॉ पूरी तरह बिना पटरी पर चल रही ट्रेन बन गई है। भाजपा भी इससे अलग नही है।

उत्तर — भारतीय राजनीति में भाजपा की वर्तमान भूमिका पर आपका चित्रण पूरी तरह ठीक है। पुराने समय में साम्यवादियों तथा भाजपा वालों के विषय में यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता था कि ये चरित्रवान कार्यकर्ताओं के संगठन हैं। अब भाजपा के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। अब तो सिर्फ साम्यवादी दलों के विषय मे ही कहा जा सकता है कि उनके कार्यकर्ताओं में अनुशासन भी है और चरित्र भी साम्यवादियों की दलीय नीतियॉ देश के लिये हितकर हैं या अहितकर, यह एक अलग विषय है किन्तु साम्यवादियों का व्यक्तिगत चरित्र अन्य राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत चरित्र से कई गुना अच्छा होता है।

आपने भाजपा में व्यक्तिगत चरित्र पतन पर निराशा व्यक्त की है। मेरे विचार में यह भाजपा का चरित्र पतन न होकर भारतीय राजनीति का चरित्र पतन है जिससे भाजपा भी बच नहीं सकी भाजपा राजनीति की बिमारियों को दूर करने के लिये मैदान मे आई थी किन्तु स्वयं ही उन्हीं बिमारियां से ग्रस्त हो गई। अतः अब हम आपको मिलकर अपना मोह भंग करना होगा और नये सिरे से नये प्रयास करने होंगे। नये प्रयास पूरी तरह इस सतर्कता के साथ होने चाहिये कि राजनीति के वर्तमान दुर्गुण इन प्रयासों को भी संक्रमित न कर दें।

श्री कृष्ण देव सिंह, वरिष्ट अभिभाषक, पनियरा, मऊ (उत्तर प्रदेश)

प्रश्न— **1.** सर्वश्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्रीमतो सोनिया गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, लालकृष्ण आडवाणो, नानाजी देशमुख व दिग्विजय सिंह आदि 2. मुरली मनाहर जोशी, सुश्री सुषमा स्वराज, शरद पवार तथा डा0 कर्ण सिंह आदि 3. अजीत सिंह, सुश्री उमा भारती व भजनलाल सहित सभी राजनैतिक दलो के कार्यकर्ता जो एक, दो, चार व पांच के क्रम में शामिल नहीं है 4. लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, सुश्री मायावती, सुश्री जयललिता एवं अजीत जागी आदि और 5. तस्लीमुद्दीन, शाहबुद्दीन, डी.पी.यादव व अन्य बाहुबली आदि को आपने अंक 77 में त्यागी बताकर उनके त्याग की श्रेणियां बताइ हैं। अंतिम पृष्ठ 14 के अंतिम पैरा में आपका यह वर्णन

वस्तुतः भ्रम पैदा करता है। यह मेरी समझ से परे है कि भारतीय राजनीति के उक्त नायकों–खलनायकों ने आखिर त्याग का क्या कार्य किया है ?

उत्तर– मैंने अंक सतहत्तर में रामसेवक जी गुप्त, द्वारा सोनिया जी त्याग के संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में भारत की वर्तमान राजनीति करने वाले राजनेताओं की पाच श्रेणिया बताकर अन्त में लिखा कि सोनिया का त्याग पहले श्रेणी का है। मैंने पांचों को न त्यागी लिखा हैं न ही लिखा जा सकता है। चौथी और पांचवी श्रेणी के लोगों को त्यागी कहना तो त्याग शब्द को भी अपमानित करेगा। मेरा तो सिर्फ यही आशय था कि पहले क्रम के लोगों की श्रेणी में सोनिया जी का स्थान है क्योंकि उनका पद त्याग उस श्रेणी के अन्य लोगों के त्याग के समकक्ष ही है। अन्तिम लाइन पढ़ने से कुछ भ्रम संभव है जो इस स्पष्टीकरण के बाद दूर हो जाना चाहिये।

अधिकार संपन्न हो स्थानीय निकाय : राष्टपति

राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने कहा कि स्थानीय निकायों को सशक्त कर तथा कार्यक्रमों को लागू करने हेतु अलग–अलग निकायों को अधिकार संपन्न बनाए जाने से ही क्षेत्रीय विकास हो सकता है। उन्होंने बताया कि वे देश भर का दौरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुॅचे। उन्हांने बताया कि वे देश भर का दौरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुॅचे हैं। श्री कलाम दिल्ली में एक साप्ताहिक पत्रिका द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों के शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी परिकल्पना देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित पदेशों को उनकी क्षमताओं व संसाधनों के आधार पर सात आर्थिक परिक्षेत्रा में बॉटकर एक सुदृढ़ भारत का निर्माण की है। आपने कहा कि विकास योजनाओं हेतु 1.उत्तरी 2.रेगिस्तानी 3.गंगा तटीय क्षेत्र 4.उत्तर पूर्वी 5.दक्खनी 6.दक्षिण तथा 7.तटीय क्षेत्र मे बॉटने की उनकी परिकल्पना है। मूलतः दक्षिण प्रदेश वासी श्री कलाम ने कहा कि भरपूर प्राकृतिक ससाधनों वाले बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश में निवासरत् देश की कुल आबादी के 35 फीसदी लोगों जो कि मेहनती हैं, का जीवन स्तर जब तक नहीं सुधरता, राष्ट्र का आर्थिक विकास पूरा नहीं होगा।

मैं तिवारी नहीं मिरी : नारायण

बलौदा (जॉजगीर चॉपा) 36 गढ़ से लहर समाज सेवी संस्था के सचिव श्री नारायण लिखते हैं कि वे तिवारी नहीं मिरी हैं और इस संबंध में पहले भी लिख चुके हैं। कृपया ज्ञान तत्व का पता अब अवश्य सधारे।

आयोडोन का छलावा : डॉ0 प्रकाश

छोटी पुरवा (बाराबंकी, उत्तर प्रदेश) से डॉ0 ओम प्रकाश विवेकानंद प्रकाश लिखते हैं कि ज्ञानतत्व में आयोडीन युक्त नमक पर पढ़ा। हमने वर्ष 2000 में इसकी अनिवार्यता के विरोध में केद्र सरकार (आदेश मई 1998) के खिलाफ आंदोलन किया था। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री सी0पी0 ठाकुर का बयान अखबारों में आया कि उक्त आदेश रद्द कर दिया गया है पर वास्तव में वह कोरी समाचार पत्रीय बयानबाजी निकली। हमने मान लिया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दबाव में सरकार जन विरोधी कार्य जनता से छिपाकर व उसे भ्रम में डालकर कर रही है।

विचार परख लेख पर साधुवादः ईशान

बरेली (रायसेन) मध्यप्रदेश से श्री अशोक कपूर ईशान ने अंक 78 में श्री बजरंगलाल अग्रवाल के लेख 'चुनाव परिणाम और धर्म निरपेक्षता' को विचार परख बताते हुए धन्यवाद दिया है। उन्होंन लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता के ढागी कट्टरवादी ही होते हैं। अटल बिहारी बाजपेयी जैसे नेता भी निज सिद्धांत कुर्बान करते देर नहीं करते।

अच्छा लगा ज्ञान तत्व : विद्यार्थी

रातीबड़ (भोपाल) म.प्र. से श्री मुकेश चंद्र विद्यार्थी लिखते हैं– आशा है बजरंगलाल जी के सान्निध्य में सक्रिय व कुशल होंगे। ज्ञान तत्व बहुत अच्छा लगा। जमशेदपुर (झारखंड) से मनोचिकित्सक ज्योत्सना जी व मैं और आप, हम सब लोक स्वराज्य समागम मे एकजुट होंगे, विश्वास है।

आपके यहॉ अव्यवस्था : डॉ0 भाऊराव

अंक 7 की मेरे पास दो प्रतियॉ पहुॅची जो अव्यवस्था बताती हैं। एक में पता नागरी लिपि में तो दूसरे में अंग्रेजी में और वह भी गलत अक्षरों में लिखा था। मेरा नाम भाऊराम नहीं भाऊराव है। कृपया पता सुधारें। बहरहाल पत्रिका बहुत अच्छी है। यह बातें बलवाड़ी (बड़वानी) म. प्र. से स्वतंत्रता सैनानी डॉ0 भाऊराव माणिकराव पाटील ने लिखी है।

प्रसाद से ज्यादा जरूरी विचार संबद्धता : मधुकर

लोक स्वराज्य मंच के विचारों का प्रसार तो मुख्य है ही उससे भी ज्यादा अहमियत लोगों को अपने विचारों से जोड़ने की है। यह बात चेन्नई (तमिलनाडु) स श्री जवाहरलाल मधुकर 'मधुबंसरी' ने लिखी है।

संविधान संशोधन में मैं आपके साथ : विजय

जटपुरा (बुलंदशहर) उ.प्र. से श्री विजय सिंह बलवान लिखते हैं कि अब तो इस्लाम की तरह जातिवाद भी अपने विस्तार हेतु संगठन शक्ति का सहारा लेकर विष वमनरत् है। सांप्रदायिकता व जातिवाद के फैलाव, योग्यता की निर्मूलता से व धन से मानव के मूल्यांकन के कारण अब संविधान में तत्काल संशोधन जरूरी है। मैं हर संभव सहयोग देते हुए सदैव आपके साथ हूँ।

आवर्ती हैं त्रुटियां : मुरारी लाल

लोक स्वराज्य मंच के वरिष्ठ कवि श्री मुरारीलाल अग्रवाल ने ज्ञान तत्व में गलतियों को आड़े हाथा लिया है। उन्होंने कहा कि पाठक इसे लेकर हर जगह टोकते हैं। मसलन अंक 75 के पहले पेज पर ही पहले पैरे की पहली पंक्ति में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुफ्ती सरकार को 'मुफती' सरकार लिखा गया है तो पृष्ठ 19 में श्री बुधमल शाम सुखा नई का नाम भी बंधमल शाम सखा छापा गया है।

2004 नही 2005 : सिंह

रामानुजगंज (सरगुजा) 36 गढ डाकघर प्रमुख श्री सिंह ने अंक 79 के पृष्ठ 17 पर बताया है कि एक करोड हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य 30 जनवरी 2004 तक नहीं 2005 तक प्राप्त किया जाना, होना चाहिये था।

सार्थक जीवन : डॉ0 रमाशंकर

आपका कार्य पवित्र व प्रशंसनीय है। सतत् प्रयत्नरत रहा, सफलता तय है। यह भाव सोनारी, जमशेदपुर (झारखंड) से डॉ0 रमाशंकर पाण्डेय ने व्यक्त किया है।

काश! आप शासन में होते–सुभाष

भैयाथान (सरगुजा) 36 गढ़ से श्री सुभाष गोयल लिखते हैं कि काश आप जैसे सोच वाला व्यक्ति शासन में होता तो देश का स्वरूप बदल जाता।

उपकृत होता समाज–वात्स्यायन

किदवई नगर, कानपुर (उ.प्र.) डा0 सेवक वात्स्यायन का मत है कि आपके सद्विचारों से समाज उपकृत हो रहा है।

वास्तव में 'ज्ञान का तत्व' – शचींद्र

मुंगेर (बिहार) से शचींद्र मिश्र के अनुसार वास्तव में ज्ञान तत्व होने से प्रचार काफी हो रहा है। कृपया एक प्रति डॉ0 इंद्रभूषण मिश्र, कहलगॉव (भागलपुर) बिहार को भी शुरू करें।

नाम बजरंगबली, काम राम का

किसका कितना कहॉ दोष है, सोंचे समझें–तजे गुरूर।
ज्ञानतत्व का साथ निभायें, भारत भाग्य होय भरपूर।
कर्म करो यह धर्म है, धर्म वस्तुतः कर्म है।
कर्म–साथ, फल–हाथ नहीं, यही धर्म का मर्म है।
अग्रवाल बजरंग बली हैं, काम राम का करते हैं
पीड़ित शोषित शापित जन का, 'कर्म' जगा दुख हरते हैं।

(जालोन, उ.प्र. से श्री राममोहन शर्मा, मोहन)

अर्थहीन आधा अधूरा–अनुपम

नैनीताल (उत्तरांचल) से श्री अनुपम की आपत्ति है कि पत्र छापें तो पूरा छापें। आधा अध्रा छापने का कोई अर्थ नहीं है।

हस्ताक्षर अभियान पर केरल में बैठक

रपट / प्रिंस अभिशेख अज्ञानी

वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल (सर्व सेवा संघ) के पूर्व अध्यक्ष प्रध्यापक श्री ठाकूर दास बंग एवं लोक स्वराज्य मंच के संस्थापक श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने तीन सूत्रीय संविधान संशोधन हस्ताक्षर अभियान में तन मन से जुटने का आव्हान किया।

उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष 12 फरवरी 2005 को पूरा हाने तक इस अभियान के तहत् देशव्यापी एक अभूतपूर्व लहर पैदा हो जानी चाहिए ताकि नई स्वतंत्रता या आमूलचूल परिवर्तन की सशक्त पीठिका तैयार हो सके। इस संबंध में लगातार दो दिनों तक आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए आपने अपेक्षा की कि समूचे देश में इतनी बड़ी तादाद में लोगों के हस्ताक्षर होंगे या कराए जायेंगे कि न सिर्फ लोगों की अपनी व्यापक सामूहिकता का अहसास हो सकेगा बल्कि अराजक तंत्र बनी राज व्यवस्था को भी सामाजिक शक्ति का लोहा मानना पड़ जाएगा और वह समाज हित में अपनी ताक को न्यूनतम कर स्थानीय संस्थाओं को सौपने सहमत अथवा विवश हो जायेगी।

वे केरल प्रांत के समुद्र तटीय शहर कालीकत में कल्लन चेरी स्थित श्री रामकृष्ण परमहंस आश्रम में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इसका आयोजन सर्व सेवा संघ के अर्द्धवार्षिक सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। यह सम्मेलन दो दिन चला और उसके पूर्व दो दिन तक संघ की कार्यसमिति की बैठक संपन्न हुई। इसी मौके पर हस्ताक्षर अभियान को गति देने, अमलीजामा पहनाने व अभियान की अब तक की समीक्षा बावत् आयोजन से खाली समय में संपन्न बैठक में सर्वश्री शिवशंकर पेंटे पूर्व सचिव आचार्य स्वर्गीय श्री विनोबा भावे रही जी.व्ही. सुब्बाराव (अध्यक्ष आंध्र प्रदेश सर्वोदय मंडल), मणिलाल पाठक, विजय तिवारी (अध्यक्ष झारखंड सर्वोदय मंडल), संतोष द्विवेदी (पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा संगठन), व प्रिंस अभिशेख अज्ञानी (राष्ट्रीय प्रवक्ता लोक स्वराज्य मंच), आदि ने मुख्य रूप से भाग लिया।

उल्लेखनीय है कि तीन सूत्रीय संविधान संशोधन अभियान के तहत् मांग की जा रही है कि शासन सत्ता के समाज में हस्तक्षेप, दायित्व व अधिकार न्यूनतम हों और स्थानीय संस्थाओं को प्रायः हरेक विषय में स्व निर्णय के पूरे–पूरे वैधानिक हक हों। वहीं संविधान वर्णित नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 37 से 51) को स्वैच्छिक से हटाकर बाध्यकारी बनाया जाये। वहीं संविधान में वर्णित केंद्रीय, प्रादेशिक व समवर्ती सूची के साथ गांव एवं जिलों के अधिकारों की सूची बनाकर अलग से जोड़ी जाए। इन तीनों बिंदुओं को लेकर निर्धारित प्रपत्र पर अधिक से अधिक लोगों से हस्ताक्षर कराकर जनमत निर्माण जारी है।

अंबिकापुर में कार्यालय का शुभारंभ

ज्ञान यज्ञ मंडल, लोक स्वराज्य मंच व ज्ञान तत्व पत्रिका का मुख्यालय अब रामानुजगंज से हटकर सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर स्थापित हो गया है अंबिकापुर में बनारस चौक पर जवाहर कॉलोनी म अजय पेट्रोल पंप के ठीक पीछे यह कार्यालय नव निर्मित भवन में आरम्भ किया गया है।

ज्ञान यज्ञ मंडल सी दीर्घ समय से संबद्ध वह वयोवृद्ध बुद्धिजीवी श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी ने इसका विधिवत् उद्घाटन किया। उन्होंने भूमंडलाकृति (ग्लोब) पर माल्यार्पण कर ज्ञान यज्ञ मंडल व लोक स्वराज्य मच के मान्य तरीके से कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके पहले श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने विधि पूर्वक यज्ञ किया और पूर्व में बाद में अपना सुविदित भाषण दिया।

इस अवसर पर शहर के व रामानुजगंज एवं सीतापुर से आए नागरिक मुख्य रूप से उपस्थित थे। इनमें अधिवक्ता, व्यवसायी, बुद्धिजोवी व समाजसेवी आदि सम्मिलित थे। सर्वश्री नंदराम अग्रवाल, मुरारीलाल अग्रवाल, मनोज सिंह, रामचंद्र सोनी, आनंद गुप्ता, प्रभात, अशोक कश्यप, खुशीराम अग्रवाल, हरिहर जायसवाल, अनिल अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, संजय अग्रवाल व रवि अग्रवाल आदि ने व्यवस्था में प्रमुख रूप से योगदान दिया।

एक माह तक संविधान समीक्षा अगले वर्ष

स्वतंत्रता के बाद भारत का भौतिक विकास तो बहुत हुआ, किन्तु सामाजिक समस्याओ का कोई समाधान नहीं हो सका। (1)चोरी–डकैती (2)बलात्कार (3)मिलावट व कमतौल (4)जालसाजी एवं धोखा (5)हिंसा, आतंक (6)भ्रष्टाचार (7)साम्प्रदायिकता (8)जातीय कटुता (9)चरित्र पतन (10)आर्थिक असमानतायें और (11)श्रम शोषण। यह ग्यारह समस्यायें लगातार बढ़ रही हैं तथा निकट भविष्य में भी इनमें से किसी एक के भी समाधान के लक्षण नहीं है। वर्ष 1977 के सत्ता परिवर्तन के बाद मैं शीघ ही समझ गया कि वर्तमान समस्याओं के समाधान का उचित माध्यम सत्ता न है, न हो सकती ह। मैंने 25 दिसम्बर 1984 को राजनीति से सन्यास लेकर तथा रामानुजगंज में पहाड़ी के नीचे आश्रम में रहकर भारत की प्रमुख समस्याओं क कारण और समाधान पर शोध किया जा पंद्रह वर्षो के बाद चार नवम्बर 1999 को पूरा हुआ। निम्नांकित निष्कर्ष निकले :–

1. सत्ता परिवर्तन के प्रयास यथास्थिति को नहीं बदल सकते। सभी राजनैतिक दल दस प्रकार के नाटक में लगे हुये हैं, जो समस्याओं में लगातार वृद्धि कर रहे हैं।
2. व्यक्ति सुधार की योजनाएं सिर्फ मृगतृष्णा मात्र हैं। व्यवस्था परिवर्तन ही एक मात्र मार्ग है।
3. भारत की वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु भारतीय संविधान में पांच मूल तत्व आवश्यक हैं :–

(क) अधिकारों का विकेन्द्रीय करण
(ख) निश्चित अपराध नियंत्रण
(ग) आर्थिक असमानता नियंत्रण
(घ) श्रम मूल्य वृद्धि और
(ड़) समान नागरिक संहिता।

4. उपरोक्त पांच मूल तत्वों के लिये निम्न कार्य करने होंगे –

(क) शासन के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप का न्यूनतम होना।
(ख) आपात गुप्तचर व न्यायिक सेवा का गठन।
(ग) कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्य वृद्धि
(घ) सभी कर हटाकर सिर्फ सम्पूर्ण सम्पत्ति पर दो प्रतिशत वार्षिक कर।
(ड़) समान आचार संहिता के प्रयत्नों को तत्काल बंद कर समान नागरिक संहिता।

चार नवम्बर 1999 को यह निष्कर्ष निकालने के बाद रामानुजगंज शहर में इन निष्कर्षो के आधार पर प्रयोग किया गया। तीन वर्षो में ही प्रयोग की सफलता सिद्ध हो गई। मार्च 2003 को सेवाग्राम (वर्धा)
महाराष्ट्र में आर्य समाज तथा गंभीर विचार मंथन किया। निष्कर्ष निकला कि व्यवस्था परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा हैं। भारत की उच्चश्रृंखला और बेलगाम राजनीति। सबसे पहले राजनीति रूपी स्वच्छंद शेर को पिंजड़े में बंद करना होगा। एक वर्ष तक गंभीर चर्चाओं के बाद निष्कर्ष निकला कि राजनीति पर समाज के प्राथमिक अंकुश के लिये एक समयबद्ध और परिणाम मूलक योजना पर काम करना आवश्यक है। इसके प्रथम चरण के रूप में त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान इस प्रकार पूरे देश में प्रारंभ किया जाय कि आगामी पांच वषा में ही उसके परिणाम मिल सके –"
(1)चुने हुये जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने की व्यवस्था।
(2)गॉव और जिले के अधिकारों की सूची का संविधान में समावेश।
(3)नीति–निर्देशक तत्वों का पालन शासन के लिए बाध्यकारी बनाना।

यदि वर्तमान संसद ने वर्ष 2007 तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की तो हम अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा संवैधानिक तरीके से एक नई संसद बनाकर उक्त संशोधनों की रूप–रेखा पर विचार करेंगे। सर्वोदय, लोक–स्वराज्य मंच तथा आर्य–समाज के अनेक विद्वानों न इस याजना में सक्रिय पहल की है। अन्य संस्थाओं के लोग तेजी से अभियान से जुड़ रहे हैं। इस कार्य के साथ–साथ सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन पर भी विचार–मंथन निरंतर चलता रहेगा, जिसका नेतृत्व ज्ञान यज्ञ मंडल करेगा। इसके अन्तर्गत शीघ ही देश के एक हजार प्रख्यात विचारकों की एक छाया संविधान सीमा बनाकर वर्ष 2005 में एक माह का संविधान समीक्षा सम्मेलन रखने का विचार है। एक–एक या दो–दो दिनों के ज्ञान यज्ञ तो निरन्तर ही चलते रहगे। ज्ञान यज्ञ मंडल तथा लोक स्वराज्य मंच ने तय कर लिया है कि आगामी पांच वर्षो में वर्तमान व्यवस्था को बदलने म अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। इस निमित्त ज्ञान यज्ञ मंडल तथा लोक स्वराज्य मंच का केन्द्रीय कार्यालय रामानजगंज से स्थानान्तरित होकर अम्बिकापुर में बनारस माग स्थित अजय पेट्रोल पंप के ठीक पीछे प्रारंभ हो गया है। (अंबिकापुर–छत्तीसगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री बजरंगलाल अग्रवाल का वक्तव्य)

रांची में संगोष्ठी

झारखंड राज्य की राजधानी रॉची से रसियन छात्रावास/विधानसभा भवन समीप स्थित गायत्री शक्तिपीठ/मंदिर में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित हुई। झारखंड के गढ़वा जिला में रंका राजवासी श्री मारध्वज प्रसाद सिंह 'सुमनजी' ने इसका आयोजन किया था, जबकि बिरसा चौक, रांची रहवासी श्री वीरेंद्र सिंह व्यवस्था प्रमुख थे।

गोष्ठी का विषय लोक स्वराज्य क्यों? क्या? और कैसे? था। इसमें मख्य वक्ता श्री बजरंगलाल अग्रवाल थे। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल, झारखंड, के नेता श्री गिरिनाथ सिंह थे। समारोह में शहर के करीब तीन दर्जनाधिक प्रमुख बुद्धिजीवी उपस्थित थे, जिन्होंने अनेक प्रश्न किए।

लोक स्वराज्य सम्मेलन सम्पन्न

लोक स्वराज्य सम्मेलन, अंबिकापुर सरगुजा, छत्तीसगढ़ दिनांक तीन चार पांच अक्टूबर सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में विभिन्न प्रदशों के आये सत्तर विद्वानों ने, सरगुजा जिले से आये डेढ़ सौ समर्थकों ने तथा अंबिकापुर शहर के एक सौ साथियों ने भाग लिया। बाहर से आये विद्वानों ने तीनों दिन भाग लिया जबकि सरगुजा जिले तथा अंबिकापुर के प्रतिभागियों में से अधिकांश पांच तारीख को शामिल हुए। बाहर से आने वाले विद्वानों के नाम पते अगले अंक में भेजे जायेंगे।

तीन अक्टूबर को ग्यारह बजे सम्मेलन का शुभारंभ लखनउ से आये विद्वान रविकान्त जी खरे उर्फ बाबाजी द्वारा धरती माता के प्रतीक ''ग्लोब'' के माल्यार्पण से हुआ। मुरारीलाल जी ने आये हुए अतिथियों के सम्मान मे एक गीत ''सम्मान आपका करते हैं'' प्रस्तुत किया। गीत के बाद बजरंगलाल ने विश्व समाज की वर्तमान स्थिति पर संक्षिप्त तथा भारतीय समाज की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि

(1)भारत राष्ट्र के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है और समाज के रूप में निरंतर नीचे जा रहा है क्योंकि ग्यारह सामाजिक समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं तथा भविष्य म भी इनके समाधान का कोई संकेत नहीं हैं।
(2) वर्तमान राजनैतिक दल इन ग्यारह सामाजिक समस्याओं के समाधान की अपेक्षा भारत के भौतिक विकास को ही अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।
(3) भारत की वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था ऐसे दस नाटकीय सूत्रों पर काम कर रही है जो अधिकांश सामाजिक समस्याओं में वृद्धि के कारण हैं।
(4) वर्तमान सामाजिक समस्याओं का समाधान सत्ता परिवर्तन से संभव नहीं है। इसके लिये व्यवस्था परिवर्तन ही एकमेव मार्ग है।
(5) राजनीति पूरी तरह उच्चश्रृंखला और बेलगाम हो गई है। राजनीति पर समाज का अंकुश लगना व्यवस्था परिवर्तन की प्रथम आवश्यकता है।
(6) राजनीति पर अंकुश तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु लोक स्वराज्य प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ है जिसका प्रथम चरण होगा शासन के अधिकार दायित्व तथा हस्तक्षेप का न्यूनतम होना।

बजरंगलाल के उपरोक्त डेढ़ घंटे के सारगर्भित व्याख्यान के बाद उपस्थित विद्वानों ने उक्त विषय पर विस्तृत चर्चा की। उक्त व्याख्यान में अनेक ऐसे निष्कषा का समावेश था जो प्रचलित निष्कर्षो से पूरी तरह विपरीत थे। अतः विचार मंथन बहुत गंभीर था तथा रात साढ़े आठ बजे तक निरंतर चलता रहा (भोजन अवकाश छोड़कर) अन्त में सर्व सम्मति से यह निष्कर्ष निकला कि शासन के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप कम करने का प्रयास ही हमारी समस्याओं के समाधान का एकमात्र मार्ग है। तीन तारीख के विचारों का समापन श्री रामबहादुर जी राय (प्रमुख पत्रकार) तथा अमरनाथ भाई के विस्तृत भाषणों से हुआ।

चार अक्टूबर को प्रातः ठीक नौ बजे चर्चा प्रारंभ हुई। चर्चा का प्रारंभ मुरारीलाल जी के गोत ''आइये, हम आज चिन्तन करें, कोई सूरज नया तब निकल आयेगा'' से शुरू हुआ। तत्पश्चात् बजरंगलाल ने राजनीति पर अंकुश हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की :–(1) भारत की सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हतु संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे। इन संशोधनों के दो उद्देश्य होंगे। (क)नई सामाजिक व्यवस्था तथा (ख)वर्तमान राजनैतिक उच्चश्रृंखलता पर अंकुश। नई सामाजिक व्यवस्था का प्रारूप बनाने हेतु व्यापक विचार मंथन करना होगा। किन्तु वर्तमान राजनैतिक उच्चश्रृंखलता पर अंकुश हेतु भारतीय संविधान में तीन संशोधन पर्याप्त हैं –

अ. चुने हुए जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने की व्यवस्था

ब. केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा समवर्ती सूची के साथ साथ गांव और जिले के अधिकारों की सूची का संविधान में समावेश

स. नीति निर्देशक सिद्धान्तों को शासन के लिये बाह्यकारी बनाने का प्रावधान

(2)अपनी पूरी शक्ति त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान पर लगाना आज की प्रथम आवश्यकता है।

(3)इस अभियान में सर्वोदय ने भी पहल की है किन्तु सर्वोदय इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देता इसलिये इस कार्य को एकमात्र सक्रियता स्वीकार कर कार्य करने वाले लोक स्वराज्य मच को भी सक्रिय रखना आवश्यक है।

(4)लोक स्वराज्य मंच त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान में अपना प्रमुख श्री ठाकुरदास जी बंग को स्वीकार करता है तथा लोक स्वराज्य मंच का नैतिक नेतृत्व सौंपता हैं। लोक स्वराज्य मंच का सगठन का ढ़ांचा यथावत् रहेगा किन्तु विशेष महत्वपूर्ण विषयों पर कोई टकराव होने की स्थिति में ठाकुरदास जी बंग का निर्णय अन्तिम होगा।

(5)लोक स्वराज्य मंच कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान में लगी किसी अन्य संस्था से टकराव पैदा करे। जहॉ तक संभव होगा लोक स्वराज्य मंच सभी संस्थाओं से सामंजस्य स्थापित करेगा।

(6)लोक स्वराज्य मंच के बैनर तले कोई ऐसा काम नहीं किया जायेगा जो शासन के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप न्यूनतम होने विशेषकर त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान से भिन्न प्रकृति का हो।

(7)इस अभियान से जुड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत या सामाजिक आचरण के लिये आचार संहिता नहीं बनाइ जा सकती है।

(8)लोक स्वराज्य मंच की नयी केन्दोय कार्यकारिणी का गठन किया जाय। अध्यक्ष आर्य भूषण जी भारद्वाज रहें। उपाध्यक्ष तथा सचिव का चयन केन्द्रीय कार्यालय आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यकर्ताओं की सलाह लेकर करें।

(9)रामानुजगंज शहर की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए केन्द्रीय कार्यालय रामानुजगज से हटाकर अंबिकापुर किया जावे। वहॉ का पता है :– लोक स्वराज्य मंच बनारस चौक, अंबिकापुर
फोन 07774–280251

दो सौ अस्सी दो सौ इक्यावन। रामानुजगंज कार्यालय में प्राप्त डाक प्रतिदिन अंबिकापुर कार्यालय जाने की व्यवस्था रहेगी।

(10)नई सामाजिक व्यवस्था हेतु संविधान में कुछ और फेरबदल के लिये ज्ञानयज्ञ मण्डल ज्ञान यज्ञ के माध्यम से विचार मंथन की प्रकिया चलाता रहे। एक हजार तटस्थ विचारकों की एक छाया संविधान सभा बनाकर एक माह का ज्ञान यज्ञ आयोजित करने की पहल की जाय।

इन दस प्रस्तावों पर पूरे दिन चर्चा हुई। मुख्य बहस इस बात पर अधिक केन्द्रित थी कि

क. बंग जी को लोक स्वराज्य मंच के संबंध में बीटो का अधिकार

ख. लोक स्वराज्य मंच के सदस्यों के लिये कोई व्यक्तिगत या सामाजिक आचार संहिता का न होना।

ग. लोक स्वराज्य मंच के संगठन का ढ़ांचा केन्द्रीय कार्यालय द्वारा बनाना

इन शंकाओं पर अपना मत प्रकट करते हुए बजरंगलाल ने बताया कि निर्माण कार्य और संघर्ष कार्य की रणनीति भिन्न भिन्न होती है लोक स्वराज्य मंच वर्तमान में समाज निर्माण की भूमिका में न होकर वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य से टकराव की भूमिका में है। अतः एक लक्ष्य, एक नेतृत्व तथा एक कार्यालय की भूमिका आवश्यक है। वे चरित्रवान लोग इस अभियान में बाधक हैं जो अपना चरित्र दूसरों पर थोपना चाहते हैं। बहुत कठिनाई से लम्बी चर्चा के बाद उपरोक्त मुद्दों पर सहमति बन सकी। अंत में कलकत्ता से आये विद्वान आत्माराम जी सरावगी तथा लखनउ के श्री बाबाजी ने अपने लम्बे व्याख्यान के बाद चार तारीख की चर्चा समाप्त की।

पांच तारीख को प्रातः नौ बजे चर्चा शुरू हुई। बंग जी ने त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान को समयबद्ध सफलता के प्रथम चरण के रूप में बड़ी मात्रा में हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की जानकारी दी। उक्त सुझाव पर सबने सहमति व्यक्त की तथा आगामी चार माह में अधिक से अधिक हस्ताक्षर कराने का वचन दिया। बड़ी मात्रा म हस्ताक्षर प्रपत्र कार्यकर्ता ले गये। अन्य मित्रों को भी हम आवश्यकता अनुसार भेजेंगे। इस संबंध में विस्तृत अपील अगले अंक में जायेगी।

पांच तारीख को ग्यारह बजे से अभियान की विधिवत् घोषणा शुरू हुई। बजरंगलाल ने अभियान की आवश्यकता तथा प्रणाली पर भीड़ भरे माहौल में विचार रखे। बंग जी तथा रामबहादुर जो राय ने भी विस्तृत विचार रखें। ठीक दो बजे श्री ठाकुरदास जी बंग ने त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान का श्री गणेश नारियल फोड़कर किया। मुरारीलाल जी ने अभियान गीत

''लोक स्वराज्य का बिगुल बजा है, जाग उठी तरूणाई है परिवर्तन के लिये साथियों, क्रान्ति द्वार पर आई है।''

प्रस्तुत किया। तीन बजे के बाद संगठन की चर्चा शुरू हुई जो शाम तक चली। 6 तारीख को सब लोग रामानुजगंज गये और वहॉ की सामाजिक गतिविधियों की जानकारी ली। सब लोगों ने नगरपालिका कार्यालय जाकर उस प्रस्ताव की विशेष जानकारी प्राप्त की जो स्वशासन प्रस्ताव के रूप में विख्यात है। 6 तारीख को रामानुजगंज चर्चा के बाद सम्मेलन समाप्त हुआ।